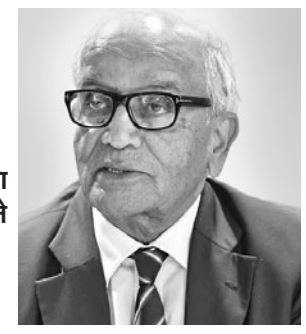

संक्षेप में

एनएचपीसी को गुजरात में सौर परियोजना मिली

सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनएचपीसी को गुजरात में 200 मेगावॉट की सौर परियोजना का ठेका मिला है। इसे गुजरात राज्य बिजली निगम (जीयूवीएनएल) के 1,125 मेगावॉट के खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क में स्थापित किया जाएगा। कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि परियोजना के लिए जीयूवीएनएल ने 2 मार्च, 2024 को नीलामी आयोजित की थी और इसका आशय पत्र (एलओआई) 14 मार्च, 2024 को जारी किया गया। यह परियोजना 2.66 रुपये प्रति यूनिट बिजली की दर पर हासिल की गई और इसे 18 महीने में पूरा किया जाएगा। *भाषा*

स्पाइसजेट हज यात्रा के लिए लेगी दो विमान

स्पाइसजेट हज के लिए चौड़े आकार के दो ए340 विमानों को पट्टे पर लेगी। कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि ये विमान श्रीनगर और गुवाहाटी से संचालित किए जाएंगे। हज संचालन का पहला चरण 9 मई को मदीना से शुरू होने वाला है। दोनों विमानों में 324-324 यात्री बैठ सकेंगे। स्पाइसजेट ने कहा कि सात भारतीय शहरों- श्रीनगर, गया, गुवाहाटी, भोपाल, इंदौर, औरंगाबाद और विजयवाड़ा से उड़ानें होने वाली हैं। पिछले साल स्पाइसजेट के हज परिचालन से 337 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। स्पाइसजेट के पट्टा और कानून विभाग के प्रमुख चंदन सैंड ने कहा कि ए340 विमान को शामिल करने के लिए लीज समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है। *भाषा*

एनपीसीआई मंजूरी के एक दिन बाद पेटीएम के लिए

येस व ऐक्सिस बैंक बने पीएसपी

अंजिक्य कावले
मुंबई, 15 मार्च

एसबीआई और एचडीएफसी भी धीरे धीरे पीएसपी के तौर पर काम करने लगेंगे

पेटीएम पेमेंट्स बैंक को दी गई मोहलत समाप्त होते ही येस बैंक और ऐक्सिस बैंक पेटीएम ऐप के लिए पेमेंट सेवा प्रदाता (पीएसपी) के रूप में कार्य करने को तैयार हो गए हैं। एक दिन पहले ही नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने यूपीआई पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर (टीपीएपी) के तौर पर परिचालन बरकरार रखने के अनुरोध को स्वीकार किया है।

येस बैंक @पीटीयेस हैंडल के उपयोगकर्ताओं के साथ पीएसपी बैंक के तौर पर लाइव हो गया है। इसी तरह, ऐक्सिस बैंक @पीटीऐक्सिस हैंडल के साथ उपयोगकर्ताओं से जुड़ गया है।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और एचडीएफसी बैंक आने वाले दिनों में पीएसपी के तौर पर जुड़ेंगे। एनपीसीआई वेबसाइट के अनुसार, उनके पास @पीटीएसबीआई और @पीटीएचडीएफसी जैसे हैंडल हैं।

एनपीसीआई ने इस संबंध में बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया है। पेटीएम ने भी इस बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

गुरुवार को, एनपीसीआई ने चार बैंकों – भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), ऐक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और येस बैंक को पेटीएम के पीएसपी के रूप में काम करने के लिए अधिकृत किया था।

इसका मतलब यह भी होगा कि जो नए उपयोगकर्ता यूपीआई इस्तेमाल के जरिये लेनदेन करने के लिए पेटीएम पर पंजीकरण करेंगे, उन्हें इन चार पीएसपी द्वारा समर्थित नए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) मिलेंगे।

वीपीए एक विशिष्ट पहचान होती है जिसका इस्तेमाल ग्राहक यूपीआई पर पैसे भेजे और मंगाने के लिए करते हैं। हाल तक @पेटीएम उन उपयोगकर्ताओं के लिए वीपीए था जिन्होंने पेटीएम ऐप पर यूपीआई के लिए पंजीकरण कराया था।

पीएसपी के तौर पर चार बैंकों के जुड़ने के साथ, पेटीएम मल्टी-बैंक मॉडल के तहत टीपीएपी के रूप में काम कर रहा है।

एनपीसीआई ने गुरुवार को कहा कि '@पेटीएम' हैंडल येस बैंक से जोड़ा जाएगा। इसी तरह, येस बैंक वन97 कम्युनिकेशंस के लिए मौजूदा और नए यूपीआई व्यवसायियों के लिए मर्चेंट जोड़ने वाले बैंक के तौर पर परिचालन करेगा। एनपीसीआई ने पेटीएम को सभी मौजूदा हैंडल नए पीएसपी बैंकों को जल्द से जल्द स्थानांतरित करने की सलाह दी है। पिछले महीने, आरबीआई ने एनपीसीआई से कहा था कि वह ऐप पर यूपीआई परिचालन बरकरार रखने के लिए ओसीएल को टीपीएपी बनाए जाने के अनुरोध पर विचार करे।

पीएसपी बैंक या तो स्वयं अपने ऐप या टीपीएपी के जरिये, ग्राहकों को यूपीआई पर पंजीकृत करते हैं, उनकी संबद्ध यूपीआई पहचान के लिए ग्राहकों के बैंक खाते जोड़ते हैं।

भारत में यूपीआई व्यवस्था का संचालन करने वाले संगठन एनपीसीआई के अनुसार, टीपीएपी ऐसा सेवा प्रदाता होता है जो पीएसपी बैंक के जरिये यूपीआई में शामिल होता है। देश में पेटीएम के साथ 25 टीपीएपी परिचालन में हैं, जिनमें एमेजॉन पे, फोनपे और गूगल पे जैसे नाम मुख्य रूप से शामिल हैं।

ऐक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक जैसे कई बैंक टीपीएपी विकल्प के जरिये फिनटेक कंपनियों की सहायता करते हैं।

सवाल जवाब

'ईवी उद्योग में सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा की है'

मारुति सुजूकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने सुरजीत दास गुप्ता के साथ बातचीत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार की नई योजना का समर्थन किया, जिससे टेस्ला जैसी कंपनियों के भारत आने और अपनी इलेक्ट्रिक कारें बेचने की संभावना बढ़ेगी। प्रमुख अंश ...

क्या आपको सरकार की उस घोषणा से कोई चिंता है जिसमें टेस्ला जैसी कार विनिर्माताओं को अब 35,000 डॉलर और उससे अधिक के सीआईएफ मूल्य वाली कारों पर 15 प्रतिशत के कम शुल्क पर अपनी कारों का आयात करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते वे तीन साल बाद विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 50 करोड़ डॉलर का निवेश करें?

मेरा रुख बिल्कुल साफ है। हम सरकार की ऐसी किसी भी योजना का समर्थन करते हैं जो देश में नए निवेश और नई तकनीक आने को प्रोत्साहित करती है। हमें उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में भारतीय घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए हैं और उन्हें लागू किया है। यह उद्योग देश में अपनी शैशव अवस्था में है और इसे बहुत अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। इसलिए अगर कोई नकारात्मक प्रभाव या क्षति होती है तो वह न्यूनतम होगी।

क्या आपको लगता है कि सुरक्षा के ये उपाय पर्याप्त हैं?

बेशक। केवल 35,000 डॉलर से अधिक की कारों के आयात की अनुमति देकर, जो तेल-गैस इंजन वाली श्रेणी में बाजार का काफी छोटा हिस्सा है और इलेक्ट्रिक वाहनों में भी सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा दी है। इसके अलावा उसने आयात की जाने वाली कारों की संख्या भी सीमित कर दी है जिसका हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

क्या आपको लगता है कि इस योजना के तहत वैश्विक कंपनियां भारत आएंगी?

मुझे विश्वास है कि अगर वे बाजार देखेंगी तो यूरोप और वियतनाम की कार विनिर्माताओं तथा टेस्ला की तरह आएंगी।

तो आप कह रहे हैं कि भारत में ईवी विनिर्माताओं को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए?

बिल्कुल। उन्हें अन्य चुनौतियों से जूझना होगा - जैसे क्या देश में ग्राहकों के लिए पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन हैं ताकि वे लंबी दूरी के बारे में सहज महसूस कर सकें। किसी सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक कार का बिक्री मूल्य क्या है। तेल-गैस इंजन वाले और उसी के समान ईवी मॉडल के बीच कीमत में कितना अंतर है तथा क्या यह कम परिचालन लागत से बेअसर हो जाएगा। ये बातें अधिक महत्वपूर्ण हैं।

बजाज फाइनेंस लिमिटेड

BAJAJ FINSERV

पंजीकृत कार्यालय : पूणे–अहमदनगर रोड, विमान नगर पूणे 411014
शाखा कार्यालय : पाटिल नर्सिंग होम, एचडीएफसी बैंक के पास, आनंद नगर, मिनाक्षी रोड, होशंगाबाद–461001

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण कि धारा 13(2) और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत मांग सूचना

अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स बजाज फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर एतद द्वारा उधारकर्ता(ओं)/ सह–उधारकर्ता(ओं) को निम्नलिखित सूचना दी है जो अपनी देयता का निर्वहन करने में विफल रहे हैं यानी मूलधन के पुनर्भुगतान में चूक के साथ–साथ ब्याज और अन्य शुल्क जो उन्होंने बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उक्त संपत्ति के खिलाफ गृह ऋण(ओं)/ऋण(ओं) के लिए अर्जित किए और परिणामस्वरूप गैर–निष्पादित सम्पत्ति बन गए हैं। तदनुसार, उन्हें प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन की धारा 13(2) के नियमों के तहत उनके अन्तिम ज्ञात पतों पर सूचना जारी किए गई थी, जो कि असेवित/अप्राप्य कर दिये गये, इस तरह उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं) को उनके द्वारा समय–समय पर प्राप्त ऋण सुविधाओं के लिए उनके बकाया ऋण को स्पष्ट करने के लिए इस प्रकाशन सूचना के माध्यम से सूचना/सूचित किया जा रहा है।

ऋण खाता सं. / उधारकर्ता(ओं)/ सह – उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) के नाम /और पता	प्रत्याभूत/बंधक अचल सम्पत्तियों का पता/प्रवर्तीत होने वाली संपत्ति	मांग सूचना दिनांक और राशि
शाखा : होशंगाबाद (LAN No. P5E2PBL6292864 दिनांक **24.12.2023)** **उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता:** **1. मैसर्स मोहन लाल हलवाई अपने मालिक के माध्यम से** **पता : निवासी** आर2 4964 म. सं. 94 रीवर व्यू रेसीडेंसी मालाखेड़ी रोड होशंगाबाद मध्य प्रदेश 461001, **इसके अतिरिक्त :** खसरा सं.395/2/2/5–2 खेवत सं. 102/144 वाकया रकबा जीवन ज्योति कॉलोनी बरनाला 148101 **2. श्रीमती मधु बाला पत्नी मोहन लाल, पता :** निवासी कैसल पेलैस के सामने रायकोट रोड जीवन ज्योति कॉलोनी बरनाला पंजाब 148101 **3. श्री देवें द्र कुमार पुत्र मोहन लाल** **पता:** गली सं. 4 जीवन ज्योति कॉलोनी रायकोट रोड बरनाला पंजाल 148101 **4. श्री मोहन लाल पुत्र कृष्णलाल, पता :** निवासी कैसल पेलैस के सामने रायकोट रोड जीवन ज्योति कॉलोनी बरनाला पंजाब 148101	खसरा सं.395//2/2/5–2 खेवत सं. 102/144 वाकया रकबा जीवन ज्योति कॉलोनी बरनाला 148101 संग साझा क्षेत्र में समानुपातिक हिस्सा का संपूर्ण और सर्वांगीण भाग। **सीमांकन :** पूर्व : खाली प्लॉट, पश्चिम : गली, उत्तर : करनैल सिंह, दक्षिण : प्रदीप शर्मा	**19.02.2024** **रू. 48,43,134/–** (रुपये अड़तालीस लाख तैंतालीस हजार एक सौ चौंतीस मात्र) **19.02.2024 तक**

सूचना की प्रतिस्थापित सेवा के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। उपरोक्त उधारकर्ताओं और/या सहउधारकर्ताओं गारंटरों) को सलाह दी जाती है की वे इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ बकाया भुगतान करें जो (किसी अन्य सही उपाय के लिए पूर्वाग्रह के बिना बजाज फाइनेंस लिमिटेड के पास उपलब्ध) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/गिरवी रखी सम्पत्ति का कब्जा लेने के लिए वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्यवाही शुरू कि जाएगी। उपरोक्त नाम के पक्षों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे विमुख न हों और उपरोक्त सम्पत्तियों में तीसरे पक्ष की रूचि सृजन न करें। जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार में है।

स्थान : होशंगाबाद
दिनांक : 16.03.2024

प्रति बजाज फाइनेंस लिमिटेड
प्राधिकृत अधिकारी

रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड

ROHA HOUSING FINANCE
GROW WITH YOUR OWN HOME

कॉर्पोरेट ऑफिस : युनिट नं. 1117 एवं 1118, 11वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर,
सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201 301.

आधिपत्य सूचना (प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8(1) के अतंर्गत)

रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड ("RHFPL" के रूप मे संदर्भित) पंजीकृत कार्यालय : जजेटी हाउस, ए44/45, रोड़ नं.2, एमआईडीसी, अंधेरी इस्ट, मुम्बई -400093 के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऋणी(यों)(नीचे वर्णित नाम एवं पता) से उक्त वर्णित अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति दिनांक से 60 दिन के अंदर निम्न वर्णित ऋण राशि अदा करने की मांग की गई थी।

चूंकि नीचे दर्शाए गए ऋणी(यों) ने अदायगी में त्रुटि की है अत: नीचे दर्शाए गए ऋणी(यों) तथा सर्वसाधारण जनता को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का **भौतिक आधिपत्य** प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है। नीचे दर्शाए गए ऋणी(यों) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड के ऋणी(यों) के समक्ष वर्णित राशि एवं ब्याज के चार्ज (प्रभार) के अधीन होगा। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे।

ऋणीयों / सह–ऋणीयों के नाम/ ऋण खाता सं./शाखा	संपत्ति का विवरण	मांग पत्र की दिनांक एवं बकाया राशि	आधिपत्य की दिनांक
लोन नं.: HLINDRSCPR000005006464/ शाखा: इन्दौर **1. कविता दत्ता, 2. सरोज दत्ता** **दोनों का पता 1:** फ्लैट नंबर 302, ब्लॉक ए, स्टार एवेन्यू, न्यू आरटीओ के पास, नायता मुंडला, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452010, **दोनों का पता 2:** 6वीं मंजिल, सी-21 बिजनेस पार्क, रेडिसन होटल के सामने, पुष्प विहार, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452001,	संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, फ्लेट नंबर 402, चौथी मंजिल पद्ममणि विहार ब्लॉक-बी सार्थक विहार, ग्राम मिर्जापुर, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452001	**25-04-2023 एवं ₹ 16,69,520/-**	**11.03.2024**
लोन नं.: HLINDRSCPR000005008994/ शाखा: इन्दौर **1. श्रीमती भावना यादव, 2. श्री सुनील यादव** **दोनों का पता 1:** प्रदर्शनी नंबर 203 दूसरी मंजिल गणेश हाइट्स स्टेडियम ए 1, इंदौर मध्य प्रदेश- 453771 **दोनों का पता 2 :** 72 राजस्व नगर इंदौर मध्य प्रदेश-452001	संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, फ्लेट नंबर 203, दूसरी मंजिल गणेश हाइट्स, प्लॉट नंबर 1ए के दक्षिण भाग पर स्थित, तहसील एवं जिला इंदौर-452001, मध्य प्रदेश	**29-01-2023 एवं ₹ 15,90,739/-**	**14.03.2024**

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 16.03.2024

प्राधिकृत अधिकारी
तर्फे – रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड

घरेलू हवाई यातायात 4.8% बढ़ा

भाषा
नई दिल्ली, 15 मार्च

फरवरी में एयर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी 12.2 प्रतिशत से बढ़कर 12.8 प्रतिशत हो गई

फरवरी में घरेलू हवाई यातायात सालाना आधार पर 4.8 प्रतिशत बढ़कर 126.48 लाख यात्री हो गया। इस दौरान उड़ान में देरी से 1.55 लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए।

शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार फरवरी में एयर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी 12.2 प्रतिशत से बढ़कर 12.8 प्रतिशत हो गई, जबकि इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी जनवरी में 60.2 प्रतिशत से मामूली गिरावट के साथ 60.1 प्रतिशत रह गई। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि घरेलू हवाई यातायात फरवरी में बढ़कर 126.48 लाख यात्री हो गया, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 120.69 लाख यात्री था। हालांकि, जनवरी में ट्रैफ़िक 1.31 करोड़ से कम दर्ज किया गया था।

डीजीसीए ने कहा कि जनवरी-फरवरी, 2024 के दौरान घरेलू एयरलाइंस से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 257.78 लाख थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह संख्या 246.11 लाख थी, जिससे 4.74 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि और 4.80 प्रतिशत की मासिक वृद्धि दर्ज की गई।

फरवरी में उड़ान में देरी के कारण 1,55,387 यात्री प्रभावित हुए और अनुसूचित वाहकों ने सुविधा के लिए 222.11 लाख रुपये खर्च किए। डीजीसीए ने कहा कि रद्दीकरण से 29,143 यात्री प्रभावित हुए और एयरलाइंस ने मुआवजे और सुविधाओं पर 99.96 लाख रुपये खर्च किए। पिछले महीने, रद्दीकरण के कारण कुल 917 यात्री प्रभावित हुए थे और इस संबंध में मुआवजे और सुविधाओं के लिए एयरलाइंस द्वारा खर्च की गई राशि 78.19 लाख रुपये थी।

फरवरी में निर्धारित घरेलू एयरलाइनों को कुल 791 यात्री-संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रति 10,000 यात्रियों पर शिकायतों की संख्या लगभग 0.63 थी। आंकड़ों से पता चला कि 37.8 प्रतिशत यात्रियों की शिकायतें उड़ान संबंधी समस्याओं के बारे में थीं, इसके बाद सामान (19 प्रतिशत), रिफंड (16.3 प्रतिशत) और ग्राहक सेवा (11.1 प्रतिशत) की शिकायतें थीं।

Kotak Mahindra Bank Limited

kotak® Kotak Mahindra Bank

Regd office: 27BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 Corporate office: Kotak Infiniti, Bldg No 21, Infinity Park, General AK Vaidya Marg, Malad (E), Mumbai-400097 **www.kotak.com**

AUCTION-NOTICE

That the below mentioned Borrower/s had availed gold loan facility against security of the gold ornaments/ items, as specified below. The Borrower/s defaulted in due repayment of the installments and outstanding dues and as a result of which the Bank was constrained to issue notices calling upon the Borrower/s to repay the outstanding amounts. However, the Borrower/s has failed to repay/clear his outstanding dues thereby compelling the Bank to auction the gold ornaments pledged in favour of the Bank.

The open auction of the above mentioned gold ornaments would be held on/after at :-
Date: 26-Mar-2024 Time: 11:00 AM Place: Respective Sub Locations/E-Auction

ApplApac	Party Name	State	Location	Sub Location	Gross Wgt
GLN2870833	Dev Dulal Singh	Madhya Pradesh	Raipur	Civillines	27.73
GLN3018443	Preet Rijhwani	Madhya Pradesh	Raipur	Civillines	10.32
GLN2760874	Anil Kumar Patidar	Madhya Pradesh	Indore	Indoremgrd	113.98
GLN2762731	Anil Kumar Patidar	Madhya Pradesh	Indore	Indoremgrd	58.77
GLN2192394	Dhirendra Bhadoriya	Madhya Pradesh	Indore	Indoremgrd	124.40
GLN2714300	Krishna Patel	Madhya Pradesh	Indore	Indoremgrd	55.72
GLN3007213	Abhishek Jain	Madhya Pradesh	Bhopal	Jabalpur	141.07
GLN3018719	Krishnakant Sharma	Madhya Pradesh	Bhopal	Mandideep	8.02
GLN2622046	Deepesh Vidhani	Madhya Pradesh	Bhopal	Mpnagar	22.95
GLN2799398	Manoj .	Madhya Pradesh	Bhopal	Mpnagar	7.88
GLN2819034	Meera Bai	Madhya Pradesh	Indore	Palda	20.08
GLN2975031	Chandan Agrawal	Madhya Pradesh	Bhopal	Seoni	132.71

Bidders are requested to Submit a copy of their Photo – identity, signature and address proof along with their original for verification together with two recent photographs at Sub Location Branch. Also individual bidder should be present to handover the documents. The Bank reserves the right to change the venue/date/time of auction or cancel the auction / finalise the highest bid without any notice to bidders.

The cost of the auction process will be debited to the customer account. Bank reserves the right to recover the balance amount from the customer if the bid amount is insufficient to meet the payoff amount of the account.

For any further details/assistance/clarification regarding the terms and conditions of the auction, you are required to contact Mr.Rakesh Jaiswar-9926051414

सीसीआई ने गूगल की प्ले स्टोर नीति के खिलाफ जांच के आदेश दिए

निष्पक्ष व्यापार नियामक सीसीआई ने शुक्रवार को इंटरनेट-आधारित कंपनी गूगल की प्ले स्टोर मूल्य निर्धारण नीति में कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के संबंध में जांच के आदेश दिए।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने इस आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता मुख्य रूप से गूगल के स्वामित्व वाले ऐप स्टोर 'गूगल प्ले स्टोर' की भुगतान नीतियों से व्यथित हैं। प्ले स्टोर पर प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करने का आरोप है। यह आदेश भुगतान संबंधी समस्याओं के कारण गूगल के प्ले स्टोर से कुछ ऐप को हटाने के दो सप्ताह के भीतर आया है। *भाषा*

नई सब्सिडी योजना के प्रति ज्यादा उत्साह नहीं

ईवी निर्माताओं का रुख उदासीन

नितिन कुमार, सुरजीत दास गुप्ता और अंजलि सिंह
नई दिल्ली/मुंबई, 15 मार्च

इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माताओं का रुख केंद्र की अनौपचारिक सब्सिडी योजना के प्रति फीका रहा है। क्षेत्र की बड़ी कंपनियां इस योजना में कम प्रोत्साहन से बहुत उत्साहित नहीं हैं, जिसने प्रमुख योजना - फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक (ऐंड हाइब्रिड) व्हीकल्स-2 की जगह ले ली है। कई मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) सब्सिडी का दावा करने में बढ़ती सख्ती और आवंटन में देरी का हवाला देते हैं।

उनका कहना है कि ये चीजें संभावित रूप से उन्हें प्रोत्साहन के प्रति हतोत्साहित करेंगी। भारी उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक चार महीने के लिए 500 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) 2024 की घोषणा की है।

एक अग्रणी इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी ने कहा, 'हम जानते थे कि सरकार के पास ईवी के लिए पैसा नहीं है। अगर सब्सिडी केवल चार महीने के लिए है तो हमें धीमी वृद्धि को स्वीकार करना होगा और बाजार में अधिक प्रीमियम श्रेणी के लिए बढ़ना होगा क्योंकि हमें अपनी मौजूदगी के लिए मार्जिन हासिल करना होगा। इसलिए आपको कम वॉल्यूम, धीमी वृद्धि और ज्यादा प्रीमियम नजर आएगा क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाले दोपहिया वाहन की लागत एक लाख रुपये होती है।' लेकिन अगर सब्सिडी जारी रहती है तो साल 2025 में उद्योग में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी।

अधिकारी ने यह भी बताया कि घरेलू मूल्य संवर्धन के सख्त कायदों और कठोर नियमों की वजह से पीएलआई प्रोत्साहन मिलना आसान नहीं है। ऐसा लगता है कि उद्योग गैर-सब्सिडी पर आधारित विकास की ओर बढ़ रहा है। दीर्घावधि में यही सबसे अच्छा लग रहा है। लेकिन अन्य लोगों का कहना है कि पीएलआई के तहत 13 से 16 प्रतिशत प्रोत्साहन नई योजना से सब्सिडी के असर को बेअसर कर सकता है और वृद्धि पर असर शायद उतना गंभीर न हो। इलेक्ट्रिक बाइक विनिर्माताओं के लिए यह असर और ज्यादा हो सकता है।

सरकार ने ई-दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी की अधिकतम सीमा पहले के 22,500 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये प्रति वाहन और ई-तिपहिया वाहनों के लिए 1,11,505 रुपये से घटाकर 50,000 रुपये कर दी है। ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी की अधिकतम सीमा 25,000 रुपये है। एक इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी का कहना है कि यह बात काफी स्पष्ट है कि बाइक का वॉल्यूम और नवाचार अब कुछ वर्षों के लिए पिछड़ जाएगा। ज्यादातर कंपनियां मैदान में बने रहने के लिए 100 सीसी के बराबर वाली बाइक बनाएंगी लेकिन 150 सीसी के बराबर वाली बाइक अब चुनौतीपूर्ण लगती है।

गृहम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

GRIHUM HOUSING FINANCE

(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

पंजीकृत कार्यालय: 602, छठवीं मंजिल, जीरो वन आईटी पार्क, एसआर. नं. 79/1, घोरपडी, मुंढवा रोड, पुणे-411036. शाखा कार्यालय इकाई: दूसरी मंजिल, 8ए "तिलक टावर", तारणी कॉलोनी, एबी रोड, देवास, मध्य प्रदेश: 455001

ई-नीलामी- बिक्री सूचना
सरफेसी अधिनियम के अधीन
अचल प्रत्याभूत सम्पत्ति की बिक्री

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के साथ पाठेत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के अधीन अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा आमतौर पर जनसाधारण तथा विशेष तौर पर कर्जदारों/सह-कर्जदारों/गिरवीदाता (ओं)/गारंटीदाता (ओं) को सूचना दी जाती है कि **गृहम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात चूंकि पूनावाला हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड का नाम 17 नवम्बर, 2023 से गृहम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड में परिवर्तित हो गया है (पूर्व में मैगमा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात तथा मूल रूप से जीई मनी हाउसिंग फाइनैंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से गठित)** (अधिनियम के अनुसार जिसे यहां बाद में "प्रत्याभूत ऋणदाता" के रूप में कहा गया है) के पास गिरवी रखी गई नीचे उल्लिखित अचल सम्पत्ति, जिस पर प्रत्यभूत ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन सूचना के अनुसार अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 एवं 9 के अधीन कब्जा कर लिया गया है।

प्रत्याभूत सम्पत्तियों की ई-नीलामी के जरिए दिनांक 16/04/2024 को "जैसे है जहां है", "जैसे है जो कुछ है" तथा "वहां जो कुछ भी है" के आधार पर बिक्री की जाएगी। एतद्द्वारा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि हमलोग वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर प्रदत्त ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के जरिए सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया जीएचएफएल/प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट यानी www.grihumhousing.com पर प्रदत्त लिंक देखें।

क्र. सं.	प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम {ए}	मांग सूचना की तिथि बकाया रकम {बी}	कब्जा की प्रकृति {सी}	सम्पत्ति का विवरण {डी}	आरक्षित मूल्य {ई}	ईएमडी (आरपी का 10%) {एफ}	ईएमडी जमा की तिथि {जी}	बोली वृद्धि {एच}	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय {आई}	नीलामी की तिथि एवं समय {जे}	ज्ञात ऋणभार/मुकदमा, यदि कोई हो {के}
1	**ऋण सं. HF/0472/H/20/100209 श्याम लाल गुर्जर सुनीता बाई गुर्जर**	**सूचना की तिथिः 07/06/2023 कुल बकायाः 846382.03** (रुपये आठ लाख छियालीस हजार तीन सौ बयासी एवं पैसे तीन मात्र) दि. 07/06/2023 को भुगतेय साथ में वसूली तक 17.00% की दर से ब्याज	**भौतिक**	ग्राम-लगेपिपलाराव, तहसील एवं जिला देवास, खसरा नं. 238, पटवारी हलका नं. 73 में 6365 वर्ग फीट परिमाप का मकान नं. 50 का सम्पूर्ण हिस्सा। **पूर्वः**-निजी भूमि, **पश्चिमः**- 12 फीट सड़क, **उत्तरः**- चरण सिंह की भूमि, **दक्षिणः**-जीवन गुर्जर का प्लॉट	**रु. 22,16,375/-** (रुपये बाईस लाख सोलह हजार तीन सौ पचहत्तर मात्र)	**रु. 2,21,637.5/-** (रु. दो लाख इक्कीस हजार छह सौ सैंतीस एवं पैसे पचास मात्र)	**15/04/2024 को अपराह्न 5 बजे से पहले**	**10,000/-**	**09/04/2024 (पूर्वा. 11 बजे - अप. 4 बजे)**	**16/04/2024 (पूर्वा. 11 बजे - अप. 2 बजे)**	**शून्य**
2	**ऋण सं. HF/0224/H/21/100113 देवेन्द्र सिंह लक्ष्मी देवी**	**सूचना की तिथिः 06/11/2023 कुल बकायाः 267427.56** (रुपये दो लाख सड़सठ हजार चार सौ सत्ताईस एवं पैसे छप्पन मात्र) दिनांक 06/11/2023 को भुगतेय साथ में वसूली तक 14.50% की दर से ब्याज	**भौतिक**	सर्वे नं. 518 मिन-1 का हिस्सा, वार्ड नं. 30 नायडू वार्ड, नंदे पुरा रोड की आबादी, मौजा शिकारपुर तहसील एवं जिला मोरेना म.प्र., परिमापः 871.25 वर्ग फीट, रेलवे क्रॉसिंग शिकारपुर, पिन कोड-476001 का सम्पूर्ण हिस्सा।	**रु. 11,05,399/-** (रुपये ग्यारह लाख पांच हजार तीन सौ निन्यानवे मात्र)	**रु. 1,10,539.9/-** (रु. एक लाख दस हजार पांच सौ उनतालीस एवं पैसे नब्बे मात्र)	**15/04/2024 को अपराह्न 5 बजे से पहले**	**10,000/-**	**09/04/2024 (पूर्वा. 11 बजे - अप. 4 बजे)**	**16/04/2024 (पूर्वा. 11 बजे - अप. 2 बजे)**	**शून्य**

बोलियां जमा करने से पहले इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं को प्रत्याभूत ऋणदाता की शाखा पर पधारने तथा नीलाम की जाने वाली सम्पत्तियों को देखने तथा निजी पूछताछ करने एवं अतिरिक्त शुल्कों, ऋणभारों एवं किसी तीसरे पक्ष के हितों की जानकारी हासिल करने करने की सलाह दी जाती है एवं उसके सभी पहलुओं के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लें। सम्पत्ति के संबंध में सभी संवैधानिक बकाया राशि यथा सम्पत्ति करों, विद्युत/जल के बकाया तथा अन्य कोई भी बकाया, यदि कोई हो, की जानकारी प्राप्त कर लेनी होगी एवं सफल बोलीदाता को उसका भुगतान करना होगा।

इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं का पंजीकरण करवाना होगा एवं लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड अग्रिम प्राप्त करना होगा, जो ई-बोली के लिए अनिवार्य है, इसे नीलामी सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्रा. लि. से प्राप्त करना होगा, पताः प्लॉट नं. 68, तीसरी मंजिल, गुड़गाँव, हरियाणा-122003, हेल्पलाइन नं. 7291981124,25,26, सपोर्ट ईमेल आईडीः Support@bankeauctions.com . सम्पर्क व्यक्तिः विनोद चौहान, ईमेल आईडीः delhi@c1india.com सम्पर्क नं.: 9813887931. कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदातागण सिर्फ उनसे ही ई-नीलामी के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को "गृहम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड" के खाते में, बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खाता नं. 000651000460 तथा आईएफएससी कोड- ICIC0000006, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001 के पास एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के जरिए जमा करनी होगी, जो दिनांक **15/04/2024** को अथवा उससे पहले किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक द्वारा आरहित किया होना चाहिए तथा अपने नाम पर https://www.bankeauctions.com पर पंजीकरण कराएं तथा अपने यूजर आईडी तथा पासवर्ड मुफ्त में प्राप्त करें एवं सेवा प्रदाता से ई-नीलामी के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर उनके पंजीकरण के उपरांत इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को अपलोड किए गए नीचे उल्लिखित दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करनी होगी एवं स्वयं सत्यापित हार्ड कॉपी **पता-तीसरी मंजिल, अलखनंदा टावर, सिटी सेंटर, ग्वालियर-474011 के पास भेजनी होगी, मोबाइल नं. 91 9567626050 ईमेल आईडी rahul.r1 @grihumhousing.com** ई-मेल के जरिए भेजनी होगी।

ई-नीलामी में भाग लेने हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया https://www.bankeauctions.com एवं www.grihumhousing.com देखें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के अधीन इस सूचना को कर्जदार/सह-कर्जदार/गिरवीदाता (ओं)/गारंटीदाता (ओं) के लिए 30 दिनों की सूचना के रूप में भी विचार किया जाना चाहिए।

तारीख : 16.03.2024 स्थान : मध्य प्रदेश

हस्ता/- अधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

भोपाल संस्करण : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा दैनिक भास्कर, प्लॉट नं. 10 व 11, सेक्टर बी, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल, म. प्र. 462023 से मुद्रित एवं सी/ओ अशोक कुमार जैन, शॉप नं. 1, पटेल मार्केट, संगम टॉकीज के समीप, भोपाल- 462001 से प्रकाशित
संपादक : कैलाश नौटियाल\ आरएनआई नं. MPHIN/2008/24603 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स - 033-22101599
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्सबिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं